



2026:AHC:179011

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29812 वर्ष 2026

अजय कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : मेहदी अब्बास

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत आवेदन अपराध संख्या 148 सन् 2025, धारा 351(3), 340(2), 338, 336(3), 318(4) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना आहार, जनपद बुलन्दशहर में पंजीकृत प्रकरण में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक निर्दोष है तथा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य और दुर्भावनापूर्ण आशय के कारण वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदक ने संबंधित भूखंडों को सम्मिलित करते हुए 8.47 बीघा भूमि दो व्यक्तियों को विधिवत पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से विक्रय की थी। यह आरोप है कि आवेदक ने कूटरचित विक्रय विलेख निष्पादित करके प्रथम सूचनाकर्ता के साथ धोखाधड़ी की। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने प्रथम सूचनाकर्ता से 12,35,000/- रुपये की धनराशि चेक के माध्यम से तथा प्रथम सूचनाकर्ता के बहनोई से 8,59,000/- रुपये की अतिरिक्त धनराशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से, प्रश्नगत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



लेन-देन के संबंध में प्राप्त की है। इस स्तर पर यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक सूचनाकर्ता को देय वास्तविक बकाया धनराशि दो माह की अवधि के भीतर वापस करने के लिए तैयार और इच्छुक है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है और उसका निरंतर कारावास में रहना उसके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए गंभीर कठिनाई का कारण बन रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के कब्जे से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है और विवेचक द्वारा दर्शाई गई कथित बरामदगी झूठी एवं मनगढ़ंत है तथा केवल अभियोजन के मामले को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के आपराधिक इतिहास का वर्तमान जमानत आवेदन के अनुच्छेद संख्या 22 में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है। आवेदक दिनांक 06.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है और पहले ही कारावास की पर्याप्त अवधि व्यतीत कर चुका है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह विचारण में सहयोग करने का वचन देता है तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया।

अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, डंड की गंभीरता तथा पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

आवेदक- अजय कुमार को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक अथवा असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

24 अगस्त, 2026

बृजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।